


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/ले.ते /1523/2019/ दिनांक .

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7) वित्त/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008 एव संशोधित आदेश क्रमांक. एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री जगदीश सिंह, लेब टैक्नीशियन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 24.04.1987 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 24.04.2014 से 9300--34800 व ग्रेड पे 3600 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त कर्मचारी का दत्तन नियतन संबंधित अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.ते /1528/2019/265

दिनांक : 24/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर। संलग्न :- सेवा प्रस्तुति -1 निर्दिष्ट फतावली -1
2. श्री जगदीश सिंह, लेब टैक्नीशियन द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्टिफर राज मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अप लोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/निर्देशों पंजावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर